

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: श्री गो / नजारत अनुभाग / 2019

दिनांक 18/12/19

मेरठ विकास प्राधिकरण के विभागीय 05 पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी दिनांक 28.12.19 को 1.00 बजे प्राधिकरण के मित्र दिवस हॉल में की जानी है। पाँच पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों का विवरण एवं शर्तें निम्नवत् है :-

क्र.सं.	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	मॉडल	आर0टी0ओ0 आफिस द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य
1.	यूपी15आर-0001	एम्बेसडर कार	2003	रु0 22,000 /-
2.	यूपी15यू-0001	एम्बेसडर कार	2005	रु0 25,000 /-
3.	यूपी15यू-0990	एम्बेसडर कार	2004	रु0 25,000 /-
4.	यूपी15एटी-0882	रिफ्यूज कलैक्टर	2006	रु0 80,000 /-
5.	जे0सी0बी0मशीन	एल एन्ड टी कम्पनी	1991	रु0 1,20,000 /-

- 1-नीलामी बोलने वाले व्यक्ति को अंकन रुपये 25000 /- का बैंक ड्राफ्ट, उपाध्यक्ष एम.डी.ए. के नाम से नीलामी बोलने से पहले जमानत के रूप में जमा करना होगा। जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करने वाला व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकेगा।
- 2- बैंक ड्राफ्ट के साथ बोली बोलने वाले व्यक्ति को अपने आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करानी होगी।
- 3- नीलामी उपरान्त उच्चतम् बोलीदाता की जमानत धनराशि का ड्राफ्ट जमा करा लिया जायेगा एवं अन्य की जमानत राशि का ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
- 4- सभी वाहन प्राधिकरण परिसर में खड़े हैं, जिनकी नीलामी जहाँ है जैसे है, के आधार पर की जायेगी।
- 5- नीलामी की स्वीकृति उपरान्त वाहन की शेष समस्त धनराशि सभी करों सहित एक सप्ताह के अन्दर जमा कराने पर वाहन दिया जायेगा।
- 6- उच्चतम् बोलीदाता द्वारा वाहन की अवशेष धनराशि जमा न करने पर, जमा जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- 7- नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष, एम.डी.ए. का होगा।

प्रभारी अधिकारी-नजारत,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।